

न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड(म.प्र.)

(समक्ष:-मोहम्मद अज़हर)

विविध व्यवहार अपील क.33/16संस्थित दिनांक-02.12.16

श्रीमती तलफा बाई पत्नी सीताराम आयु 62 वर्ष  
जाति गुर्जर निवासी ग्राम परसेन जिला ग्वालियर  
म0प्र0 कृषक बघराई परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0  
..... अपीलार्थी / वादी

विरुद्ध

1. बेताल सिंह आयु 50 वर्ष
2. कलियान आयु 45 वर्ष,
3. हरेन्द्र आयु 40 वर्ष,
4. तिलक सिंह आयु 35 वर्ष, पुत्रगण निरोत्तम सिंह जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम बघराई परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
5. म0प्र0 राज्य शासन द्वारा श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड म0प्र0

..... प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी कं0-1 लगायत 04 द्वारा श्री आर.सी. यादव अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी कं0-5 म0प्र0 शासन अनुपस्थित, पूर्व से एकपक्षीय।

( आ दे श )

(आज दिनांक 27.09.16 को पारित)

1. यह विविध सिविल अपील न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 गोहद श्री पंकज शर्मा के विविध सिविल प्रकरण क्रमांक 3/16 उनवान श्रीमती तलफा बाई बनाम बेताल सिंह एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.11.16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा आवेदक/वादी का आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 4 सहपठित धारा-151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त करते हुए मूल व्यवहार वाद 3ए/14 नया क्रमांक 40ए/14 उनवान श्रीमती तलफा बाई बनाम बेताल सिंह एवं अन्य को सुनवाई पर नहीं लिया है।
2. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष का मामला यह रहा

है कि आवेदिका तलफा बाई की ओर से अनावेदक/प्रतिवादीगण के विरुद्ध मूल व्यवहार वाद क्रमांक 3ए/14 प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 21.04.16 को प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत था। उक्त दिनांक को वादी एवं उसकी साक्ष्य अनुपस्थित थी। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त वाद को वादी एवं उसकी साक्ष्य की अनुपस्थिति के कारण आदेश 17 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत निरस्त किए जाने का आदेश किया। उक्त आदेश दिनांक 21.04.16 से व्यथित होकर आवेदक/वादी के द्वारा आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 4 सहपठित धारा-151 जा0दी0 का प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह आधार लिया गया कि आवेदिका/वादी बीमार होने के कारण तारीख पेशी के पूर्व अपने अभिभाषक को सूचना देने में असमर्थ थी और ग्वालियर इलाज ले रही थी। उक्त आधारों पर उक्त मूल व्यवहार वाद को पुनः सुनवाई में लेने की प्रार्थना की गई है।

3. अनावेदक/प्रतिवादीगण की ओर से आवेदन का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका के द्वारा जो मेडीकल पर्चा प्रस्तुत किया गया है, वह दावा खारिज होने की दिनांक 21.04.16 के पश्चात का है अर्थात् 23.04.16 का इलाज का पर्चा है। जिससे स्पष्ट है कि वादिया स्वस्थ थी और अभिभाषक को सूचना नहीं देने की बात गलत वर्णित की है। उक्त आधारों पर आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।
4. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मान्य किया गया है कि आदेश 17 नियम 3 जा0दी0 के अधीन वाद निरस्त कर दिए जाने की दशा में वादी को केवल अपील प्रस्तुत करने का उपचार उपलब्ध होता है, उसका आवेदन वाद को पुनः स्थापित करने के लिए प्रचलनशील नहीं है। यह मान्य करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध यह विविध सिविल अपील प्रस्तुत की गई है।
5. अपीलार्थी/वादी की ओर से अपने अपील मेमो तथा अंतिम तर्क में यह आधार लिए हैं कि दिनांक 21.04.16 को अपीलार्थी बीमार होने के कारण ग्वालियर इलाज हेतु चली गई थी। उसके अनुपस्थिति मजबूरीवश थी और अनुपस्थिति का कारण सद्भावी है। विचारण न्यायालय के द्वारा कोई साक्ष्य न लेकर मात्र तर्क श्रवण कर आवेदन निरस्त कर दिया है।

उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 05.11.16 विधि विधान व कानूनी सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 05.11.16 अपास्त करते हुए, आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 04 सहपठित धारा-151 जा0दी0 स्वीकार करते हुए मूल व्यवहार वाद को पुनः सुनवाई पर लिए जाने की प्रार्थना की गई है।

**6.** जबकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 की ओर से व्यक्त किया गया है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। अपील निरस्त करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 05.11.16 की पुष्टि किए जाने की प्रार्थना की गई है।

**7.** उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से इस विविध अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विविध सिविल प्रकरण क्रमांक 3/16 में पारित आदेश दिनांक 05.11.16 स्थिर रखे जाने योग्य है या उसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार है ?

**-:: सकारण निष्कर्ष ::-**

**8.** मूल व्यवहार वाद की आदेश पत्रिका दिनांक 21.04.16 की प्रति का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि वादी और उसके साक्षियों की अनुपस्थिति के कारण आदेश 17 नियम 3 जा0दी0 के तहत वाद निरस्त किए जाने का निष्कर्ष दिया गया है। आदेश 17 नियम 02 में यह प्रावधान है कि वाद की सुनवाई जिस दिन के लिए स्थगित हुई है यदि उस दिन पक्षकार या उनमें से कोई उपसंजात होने में असफल रहता है तो न्यायालय आदेश 9 के द्वारा उसके निमित्त निदिष्ट ढंगों में से एक से वाद का निपटारा करने के लिए अग्रसर हो सकेगा या "ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।"

**9.** आदेश 17 नियम 3 के अनुसार जहां वाद का कोई पक्षकार जिसे समय अनुदत्त किया गया है, अपनी साक्ष्य पेश करने या अपने साक्षियों को हाजिर करने या वाद की आगे प्रगति के लिए आवश्यक कोई ऐसे अन्य

कार्य करने में जिसके लिए समय अनुज्ञात किया गया है, असफल रहता है, वहां न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम के होते हुए भी,—

(क) यदि पक्षकार उपस्थित हो तो वाद को तत्क्षण विनिश्चय करने के लिए अग्रसर हो सकेगा, अथवा

(ख) यदि पक्षकार या उनमें से कोई अनुपस्थित हो तो नियम 02 के अधीन कार्यवाही कर सकेगा।

**10.** प्रस्तुत इस मामले में दिनांक 21.04.16 को वादी और उसकी साक्ष्य अनुपस्थित थी अर्थात वादी अनुपस्थित था। तब ऐसी स्थिति में आदेश 17 नियम 02 के तहत कार्यवाही की जानी थी अर्थात या तो आदेश 09 के तहत अदम पैरवी में वाद निरस्त होना था या **ऐसा आदेश होना था जो न्यायालय ठीक समझे।**

**11.** आदेश जो न्यायालय ठीक समझे का आशय यह भी है कि न्यायालय उस वाद को साक्ष्य के अभाव में खारिज कर सकता है। परंतु साक्ष्य अभाव में खारिजी के लिए निर्णय का लिखा जाना और निर्णय घोषित किया जाना आवश्यक था। अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रथम से पृष्ठों पर कोई निर्णय विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न तो लिखा गया है और न घोषित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर यह मान्य किया जाना चाहिए कि वाद आदेश 09 के तहत ही निरस्त किया गया है अर्थात वादी की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया गया है। जिसके लिए वाद को पुनः नंबर पर लिए जाने और पुनः सुनवाई करने का आवेदन पोषणीय हो जाता है अर्थात आदेश 09 नियम 09 के तहत पक्षकार आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

**12.** जिसके संबंध में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय को विधिअनुसार कार्यवाही कर अग्रसर होना चाहिए था और उक्त आवेदन का गुणदोषों पर निराकरण करना चाहिए था। परंतु विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उस आवेदन का गुणदोषों पर निराकरण न करते हुए और उक्त आवेदन को पोषणीय न होना मान्य करते हुए आदेश किए जाने में वैधानिक त्रुटि कारित की है। इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 05.11.16 वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट होता है। इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 05.11.16 हस्तक्षेप किए जाने योग्य है।

- 13.** इस कारण इस मामले को उक्त आवेदन पर गुणदोषों पर विचार करते हुए विधिअनुसार आदेश किए जाने हेतु विचारण/अधीनस्थ न्यायालय की ओर प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
- 14.** अतः यह विविध सिविल अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 05.11.16 अपास्त किया जाता है। यह मामला अपीलार्थी/वादी के आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 04 सहपठित धारा-151 जा0दी0 का निराकरण गुणदोषों के आधार पर किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय उक्त आवेदन का निराकरण गुण दोषों के आधार पर करे।
- 15.** उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.10.17 को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपस्थित रहें।
- 16.** इस अपील का व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 500/-रुपए लगाया जावे।
- 17.** इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

आदेश न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

( मोहम्मद अज़हर )  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

( मोहम्मद अज़हर )  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड